B-2
L-8
Polity

समानता का अधिकार

* अनुच्छेद 14 - विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण :-

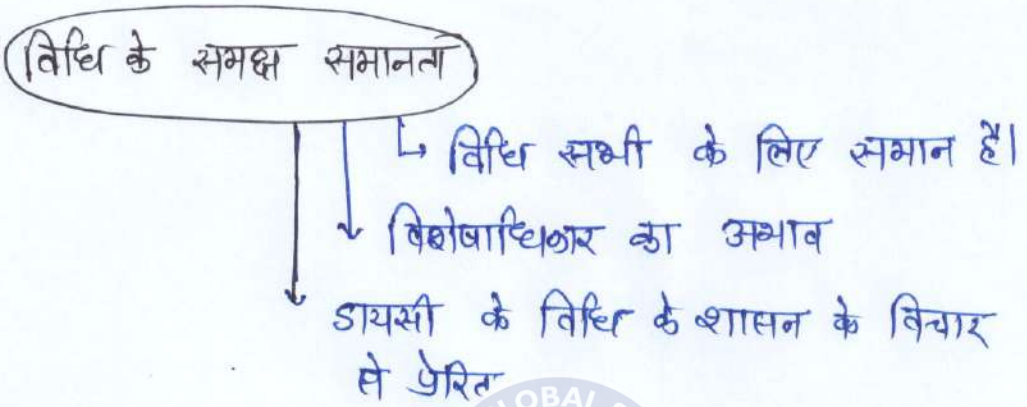

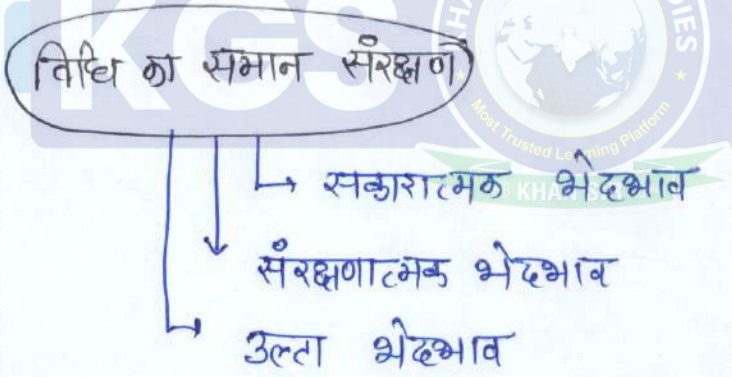

- अनुच्छेद - 14 मूल अधिकारों में भी मूल है, जो राज्य के द्वारा निर्मित सभी प्रकार की विधियों को नियंत्रित करता है। क्योंकि अनुच्छेद - 14 के अनुसार, विधि सर्वोच्च होगी, सभी के लिए समान होगी, किसी व्यक्ति की पद, प्रतिष्ठा या

हैसियत कुछ भी क्यों न हो, उनके लिए एक समान विधि होगी।

- विधि के समक्ष समानता का विचार डायसी के विधि के शासन का पर्याय है, जो इंग्लैण्ड की विधि से लिया गया है।

- भारत में विद्यमान सामाजिक - आर्थिक विषमताओं को देखते हुए कल्याणकारी राज्य का यह दायित्व है कि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के हितों का विशेष संरक्षण किया जाए, जिसे अनुच्छेद - 14 में विधि के समान संरक्षण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। जिसके अनुसार, समानों के साथ समान तथा असमानों के साथ असमान व्यवहार होगा। अतः विधि के द्वारा वंचित वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी।

- तार्किक भेदभावः-

→ विधि का निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है,

KGS IAS

परन्तु राज्य की विधि राजनीतिक उद्देश्यों से भी प्रेरित हो सकती है इसीलिए विधि में भेदभाव तार्किक है अथवा अतार्किक, इसका निर्धारण उच्चतम न्यायालय करता है। न्यायालय के द्वारा भेदभाव की परीक्षा के लिए निम्नलिखित मानकों का निर्माण किया गया है-

1. भेदभाव के लिए निर्मित विधि का उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए।
2. वर्ग के आधार पर किया गया भेदभाव अतार्किक है।
3. वर्गीकरण का आधार व्यवसाय, भौगोलिक परिस्थितियां अथवा सामाजिक परिस्थितियां हो सकती है।
4. किसी भी विधि में भेदभाव समुदाय के लिए होना चाहिए, व्यक्ति के लिए नहीं।

↳ मूल अधिकार इसीलिए सामान्य विधि से महत्वपूर्ण माना जाता है और फिलहाल संसद के द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 पारित किया गया है, जिस पर न्यायपालिका यह विचार कर रही है कि राज्य के द्वारा किया गया वर्गीकरण तार्किक है अथवा अतार्किक।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Trusted Learning Platform KHAN SIR

जबकि PMLA (Prevention of Money Laundering Act), 2002 के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने राजनेताओं के लिए छूट देने से से इंकार कर दिया है।

- अमेरिका के मूल अधिकार निरपेक्ष है, जबकि भारतीय संविधान के मूल अधिकार सापेक्ष हैं। भारत में मूल अधिकारों के साथ सामाजिक न्याय की धारणा को भी समान महत्व दिया गया है। इसीलिए अनुच्छेद 16 में आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

- विधि के समक्ष समता के अपवादः-

↳ अनुच्छेद 361 के अनुसार, राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके कार्यकाल के दौरान हिरासत में नहीं लिया जाएगा।

↳ अनुच्छेद 361 के अनुसार, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान न्यायालय में न तो कोई मामला आरंभ होगा और न ही पुराना मामला चला रहेगा।

↳ अनुच्छेद 361 के अनुसार, राष्ट्रपति और राज्य को उनके द्वारा किए गए किसी भी आधिकारिक कार्य

के लिए किसी भी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

↳ अनुच्छेद 361 के अनुसार, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान सिविल मामले आरंभ किए जा सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें दो महीने पहले नोटिस देना होगा।

↳ भारत में कार्यरत विदेशी राजदूत

* समानता के अन्य आयाम:-

1. अनुच्छेद 14 में समानता के व्यापक आधार का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 15, 16, 17 और 18 में इसके विशिष्ट आयामों का उल्लेख किया गया है।

2. राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाता है, जिसमें किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जिससे यह प्रतीत होता है कि इन आधारों के अलावा शैक्षिक योग्यता व शारीरिक दक्षता इत्यादि आधारों पर

भेदभाव किया जा सकता है।

3. वर्ष 1950 में पहली बार मद्रास प्रांत के द्वारा मेडिकल कॉलेज में आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो संविधान लागू होने के बाद दिया गया पहला आरक्षण था। लेकिन चम्पकम दोराइराजन वाद में मद्रास सरकार के आरक्षण के इस प्रावधान को पहली बार उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी, जिसे अनुच्छेद 15(1) और अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन माना गया। चम्पकम दोराइराजन वाद, मूल अधिकार और निदेशक तत्व के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहला विवाद था जहाँ उच्चतम न्यायालय ने मद्रास सरकार के द्वारा दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR